न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 102 / 2019

किशोरीलाल पुत्र नत्थुराम, जाति जागिड़, निवासी बाय, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्व आदेश / निर्णय दिनांक 14.10.2019 द्वारा तहसीलदार नवलगढ उनवानी मुकदमा सरकार चिरजीलाल अ0 धारा 91 राज0 भू—राजस्व अधि0 1956 मु0न044 / 2019

———

उपस्थित:—

1. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.03.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 14.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टस की ओर से अपील निम्न लिखित आधारो पर पेश है कि योग्य अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 14.10.2019 विरूद्व कानून एव पत्रावली है। अपीलान्ट को हल्का पटवारी बाय एवं हल्का गिरदावर की गलत रिपोर्ट पर अपीलान्ट को धारा 91 एल आर एक्ट के अन्तर्गत ग्राम बाय के खसरा न0 1236 / 145 रकबा 0.46 हैक्टर किस्म बजड़ भूमि पर अतिकमी घोषित कर भूमि से बेदखली का आदेश पारित करने तथा 50 गुणा अर्थात 23 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा उसके पिता नत्थुराम के समय से ही है जो अपीलान्ट के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि वाके ग्राम बाय के भूमि खसरा न0 145 रकबा 4.33 हैक्टर बंजड़ का ही भाग है। परन्तु हल्का पटवारी व गिरदावर ने विवादग्रस्त भूमि को भूमि खसरा नं0 1236 / 145 सिवायचक भूमि का हिस्सा बताकर बेदखली का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व है। अपीलान्ट को धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस तामील कर दिया है। जबकि अपीलान्ट विवादग्रस्त भूमि को अपने पिता से समय ही काश्त करता चला आया है किसी ने भी अतिकमी नही माना। अगर अपीलान्ट का कब्जा काश्त खसरा न0 145 से बाहर होता तो अपीलान्ट को सन् 1956 में ही बेदखल करने के लिए कार्यावाही शुरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:32:48 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के दावा के माध्यम से रेस्पोडेन्टस के द्वारा दिये गये नोटिस के बाद स्पष्टीकरण हेतु उपखण्ड अधिकारी नवलगढ की अदालत में दावा भी पेश कर रखा है। अदालत मातहत को धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही नही करनी थी। तथा मूल दावे के निस्तारण का इन्तजार किया जाना चाहिए था। भूमि की किस्म बजड दर्ज होने से ही सरकारी भूमि नही मानी जा सकती है। क्योंकि जब भूमि के हिस्से छोड़–छोड़ कर बोये जाते है तो जिस हिस्से में काश्त नही करते है तो वह भूमि बंजड कहलाती है। इस प्रकार से रिकार्ड में गलती से बजड दर्ज हो गयी। जबकि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चल आ रही है। अदालत मातहत के निर्णय से अपीलान्ट को बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलान्ट बरबाद हो जायेगा। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 14.10.2019 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश करने की।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि अपीलान्ट का कब्जा इसके पिता नत्थुराम के समय से ही है जो अपीलान्ट के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि बाके ग्राम बाय के भूमि खसरा न0 145 रकबा 4.33 हैक्टर का ही भाग है। परन्तु हल्का पटवारी व गिरदावर ने विवादग्रस्त भूमि को भूमि खसरा न0 1236/145 सिवायचक भूमि का हिस्सा बताकर बेदखली का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट को धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस प्रथम बार दिया है। जबकि अपीलान्ट विवादग्रस्त भूमि को अपने पिता से समय ही काश्त करता आया है जिसको कभी भी अतिक्रमी नही माना। अगर अपीलान्ट का कब्जा खसरा न0 145 से अलग होता तो अपीलान्ट को सन 1956 में ही बेदखल करने की कार्यवाही शुरू कर देते। अपीलान्ट के दावा के माध्यम से रेस्पोडेन्टस के द्वारा दिये गये नोटिस के बाद स्पष्टीकरण हेतु उपखण्ड अधिकारी नवलगढ की अदालत में दावा भी पेश कर रखा है। भूमि की किस्म बंजड दर्ज होने से ही सरकारी भूमि नही मानी जा सकती है। क्योंकि जब भूमि के हिस्से छोड़–छोड़ कर बोये जाते है तो जिस हिस्से में काश्त नही करते है तो वह भूमि बंजड कहलाती है। इस प्रकार से रिकार्ड में गलती से बजड दर्ज हो गयी। जबकि भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चल आ रही है। अदालत मातहत के निर्णय से अपीलान्ट को बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलान्ट बरबाद हो जायेगा। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 14.10.2019 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश करने की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट बहस के दौरान उपस्थित नही। अतः एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:32:48 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम बाय स्थित भूमि खसरा नम्बर 1236/145 रकबा [illegible] हैक्टर किस्म बजड़–1 पर अतिक्रमी माना है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी पर उसका पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजी अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 145 का भाग है। जिसकी बाबत एक वाद अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ यहां दायर कर रखा है तथा वह विचाराधीन चल रहा है। रिकार्ड अदालत मातहत व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से अपीलान्ट का यह तर्क तो स्वीकार्य है कि उनके द्वारा विवादित आराजी की बाबत वाद दायर कर रखा है परन्तु पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों से यह सिद्ध नहीं है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1236/145 उनके खातेदारी में दर्ज रही हो या उस पर उनका पुराना कब्जा रहा हो। वर्तमान में विवादित आराजी रिकार्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। राजकीय भूमि पर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया गया कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी आता है। अदालत मातहत ने राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/03/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:32:48 IST
Reason: SelfAttested